भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1238

(दिनांक 14.12.2022 को उत्तर के लिए)

प्रशासनिक कार्यक्रमों के लिए प्रोटोकॉल दिशानिर्देश

1238. श्री दिलीप घोष:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माननीय संसद सदस्यों के संबंध में प्रशासनिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा और ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले निकायों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रासंगिक प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूरे देश में प्रोटोकॉल उल्लंघन की किसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई या की जाने वाली संभावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को प्रशासन एवं संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज में उचित कार्यविधि के अनुपालन के संबंध में वर्ष 2011 में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें इन निर्देशों को राज्य/मंडल और जिला स्तरों पर राज्य सरकार के सभी अधिकारियों के बीच प्रसारित करने का अनुरोध किया गया था ताकि उन्हें संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में संवेदनशील बनाए जा सके। इन दिशानिर्देशों में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु केन्द्रीय सचिवालय-कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल में उल्लिखित प्रक्रिया भी शामिल है। इन अनुदेशों को सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से अक्षरश: अनुपालन किए जाने हेतु समय-समय पर दोहराया भी गया है। हाल ही में, प्रशासन एवं संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज में उचित कार्यविधि के पालन के संबंध में जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों को संकलित किया गया है और इन समेकित दिशानिर्देशों को पूर्व के सभी दिशानिर्देशों तथा कार्यालय-प्रक्रिया के मैनुअल के लिंक सहित डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि ये सभी स्टेकधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें।

यदि कोई सरकारी सेवक इन प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1965, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासनिक एवं अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति लगाई जा सकती है और सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन या ग्रेच्युटी अथवा दोनों को रोकने अथवा वापस लेने की कार्रवाई की जा सकती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में वर्ष 2022 के दौरान प्राप्त विशेषाधिकार के उल्लंघन/नयाचार के उल्लंघन के प्रश्न के नोटिसों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

(i) प्राप्त नोटिसों की संख्या :**16**

(ii) राज्य सरकारों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों की संख्या : **7**

(iii) लोक सभा सचिवालय को भेजी गई रिपोर्टों की संख्या (विशेषाधिकार एवं नैतिक शाखा) :**7**